

पत्रांक-2/बी0टी0-09/2024-
बिहार सरकार
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन) बिहार, पटना।

प्रेषक,

निदेशक,
नियोजन एवं प्रशिक्षण,
बिहार, पटना।

सेवा में,

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
अ०प्रा०नि० गया जी।
जिला नियोजनालय, सिवान, पूर्णियाँ, अररिया।
विकलांगो के लिए विशेष नियोजनालय, पटना सहित।

पटना-01, दिनांक-

विषय:- निदेशालय नियोजन, बिहार पटना के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों को (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में निधि के आवंटन के संबंध में।

महाशय,

निदेशालय नियोजन, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यालयों को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में आय व्ययक शीर्ष-2230-02-101-0004 (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय) अंतर्गत बिहार विनियोग अधिनियम-2025 के द्वारा उपबंधित निधि से वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-227/वि0 दिनांक-28.03.2025 एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना पत्रांक-235/वि0, दिनांक-01.04.2025, के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के शेष माह के व्यय के लिए विस्तृत शीर्ष एवं विषय शीर्ष मदवार संलग्न विवरणी के अनुसार कुल ₹9,38000 (रूपये नौ लाख अड़तीस हजार) मात्र के निधि का आवंटन दिया जा रहा है।

- यह राशि स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष-2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास -02-रोजगार सेवार्य-101-रोजगार सेवार्य-0004-रोजगार कार्यालय की स्थापना विपत्र कोड-26-2230.02.101.0004, माँग संख्या-26 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
- इस राशि की निकासी वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2561/ वि0 (2) दिनांक-17.04.98 में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत पत्रों/निदेशों के आलोक में सुनिश्चित किया जाय।
- आवंटित की जा रही राशि में से अधिकतम 38,888/- प्रतिमाह की दर से वाहन मासिक रूप से भाड़े पर लिया जा सकेगा। मामले में वित्त विभाग से संबंधित अन्य सभी वांछित निदेश का पालन किया जाना आवश्यक होगा।
- उक्त आवंटित निधि से चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का भुगतान किया जा सकेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि आवंटित राशि के व्यय विवरणी ससमय निदेशालय नियोजन, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- वेतनादि मद में आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के शेष माह के लिए है। आवंटित राशि से पूर्व के बकाया राशि की भी निकासी की जा सकेगी।
- सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि CFMS के माध्यम से आवंटन प्राप्त होने के उपरांत ही राशि की निकासी सुनिश्चित की जाय।
- सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि राशि का व्यय विवरणी एवं लेखा मिलान से संबंधित प्रतिवेदन टी०भी० नम्बर के साथ प्रत्येक माह की पांचवीं तारीख तक निश्चित रूप से निदेशालय नियोजन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अनु०-यथोक्त।


विश्वासभाजन
ह०/-
निदेशक
नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना।

क०प०३०

ज्ञापांक- 2/बी0टी0-09/2024-22

पटना-01, दिनांक-20/2/2025

प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना / सहायक निदेशक (नियोजन) अ०प्रा०नि० गया जी (विकलांगों के लिए विशेष नियोजनालय सहित) / जिला नियोजन पदाधिकारी, सिवान, पूर्णियाँ, अररिया / संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं बजट/लेखा शाखा, निदेशालय नियोजन एवं अर्थ० टी० मैनेजर, युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।




निदेशक

नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना।

26-2230.02.101.0004 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय हेतु आवंटन विवरणी

क्रम सं०	विस्तृत शीर्ष	01-वेतन		11-यात्रा व्यय	13-कार्यालय व्यय		28-व्यवसायिक सेवाएं	कुल योग
	विषय शीर्ष (मद का नाम) एवं कार्यालय का नाम	वेतन-01	मकान किराया भत्ता -04	यात्रा व्यय -01	दूरभाष -03	भाड़े की गाडी का भुगतान-10	संविदा सेवायें-02	
1	2	3	5	11	13	17	21	24
1	जिला नियोजनालय, सिवान	10000			3000			13000
2	विकलांगो के लिए विशेष नि०, पटना				15000			15000
3	जिला नियोजनालय, पूर्णियाँ			60000		10000		70000
4	अ० प्रा० नि०, गया जी	26000	5000				51000	82000
5	जिला नियोजनालय, अररिया						758000	758000
	कुल योग	36000	5000	60000	18000	10000	809000	938000

रूपये (नौ लाख अड़तीस हजार) मात्र


 निदेशक
 नियोजन एवं प्रशिक्षण
 बिहार, पटना।